न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

वाद संख्या :— 76/2025

उनवान

1.रामेश्वरी पत्नि गुल्लाराम यादव उम्र—व्यस्क जाति अहीर निवासी ढाणी बलदेवजी वाली—शेरपुरा तहसील —शाहपुरा जिला जयपुर(राज)

— प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार(भूधारक)तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर(राज)
2. रामगोपाल पुत्र घासीराम जाति ब्राहमण,निवासी घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर,राजस्थान
3 अमरचंद पुत्र घीसी देवी पत्नी गुटटाराम
4. देवानन्द पुत्र घीसी देवी पत्नि गुटटाराम
5.आंची पुत्री घीसी देवी पत्नि गुटटाराम
6.कैलाशी देवी घीसी देवी पत्नि गुटटाराम
7. गोदी देवी घीसी देवी पत्नि गुटटाराम
8. विमला देवी पुत्री घीसी देवी पत्नि गुटटाराम
9. मांगी देवी पुत्री घीसी देवी पत्नि गुटटाराम
10.सीता यादव पुत्री घीसी देवी पत्नि गुटटाराम

समस्त जाति अहीर निवासी घासीपुरा तहसील—शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

—अप्रार्थीगण

11. अजरूद्दीन पुत्र छुटटन
12. संजय पुत्र छुटटन
13. बब्बन पत्नि छुटटन
14. आरजू पुत्री छुटटन

समस्त जाति ढाडी, निवासी ढाणी घासीपुरा तहसील —शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

—तरतीबी अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना—पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय दिनांक 10/11/25

उपस्थितः— प्रार्थी अधिवक्ता श्री रामगोपाल कुमावत

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नं0—79/1075/0.2600, 79/1262/0.1300, 80/1260/0.1000, 88/0.9900 हैक्टर कुल किता—4 रकबा 1.4800 हैक्टर वाकै ग्राम घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है उक्त भूमि में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा तथा शेष तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकित हैं।प्रार्थीया उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त व अपने उपयोग—उपभोग में लेती आ रही हैं। प्रार्थीया ने दिनांक 24.04.25 को सीमाज्ञान हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जिसका टोकन संख्या —2025/12625/2 हैं उक्त टोकन की

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

पालना में दिनांक 21.05.2025 को हाल आराजी खसरा नं0 88,89/1075,79/1262, 80/1260 कुल किता–4 रकबा 1.4800 हैक्टर वाकै ग्राम घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का सीमाज्ञान राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों से खातेदान व उपस्थित व्यक्तियों की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया प्रार्थीया द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने के बावजूद प्रार्थीया की आराजी खसरा नं0 88,79/1075,79/1262, 80/1260 कुल किता–4 रकबा 1.4800 हैक्टर वाकै ग्राम घासीपुरा के पास स्थित आराजी काश्तकार अप्रार्थीगण 2 लगा0 10 द्वारा प्रार्थीया की उक्त भूमि की सीमाओ पर सींव,डोल आदि का विवाद करते रहते हैं ।अतः प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान के आधार पर अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहती हैं ।

प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र पेश होने पर रिर्पोट सरिस्ता ली जाकर तथा प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 10 की तामील जरिये रजि0 डाक से हो चुकी हैं बावजूद तामील अप्रार्थीगण 1 लगा0 10 अनु0 ना ही कोई जवाब पेश किया हैं अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं।तरतीबी अप्रार्थीगण 11लगा0 14 की ओर से एडवोकेट श्री सलमान खान ने वकालतनामा पेश किया गया जिसे पत्रावली में शामिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सीवडोल काटने से आये दिन होने वाले विवादो की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहती हैं। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार हैं। तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद,सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचाव का यह एक उपाय है।जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमाचिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नही कर सकते हैं।मौके पर सीमाज्ञान होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि हाल आराजी आराजी खसरा नं0–79/1075/0.2600, 79/1262/0.1300, 80/1260/0.1000, 88/0.9900 हैक्टर कुल किता–4 रकबा 1.4800 हैक्टर हिस्सा 1/2 वाकै ग्राम घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुये एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुये उनकी उपस्थिति के मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 21.05.2025 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिया जाता है । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)